न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :— कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

वाद सं :: 40/2016
सीएमएस सं0 2016/00015

1. मोहन पुत्र मूला | समस्त जाति जाट नि0 ग्राम शिश्यू तहसील
2. कन्हैयालाल पुत्र भागचंद | दांतारामगढ़,जिला सीकर ।
3. श्रवणी देवी पत्नी भागचंद |

— वादीगण,

बनाम

1. भंवरी उर्फ भूरी पत्नी मूला। समस्त जाति जाट नि0 ग्राम शिश्यू तहसील
2. महावीर पुत्र मूला | दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3. मन्शीराम पुत्र धन्नाराम जाति रैबारी नि0 ग्राम लढाणा तह0 दांतारामगढ़,सीकर।
4. जगदीश पुत्र मूला जाति जाट नि0 ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5. उप पंजीयक, पलसाना।
6. तहसीलदार, दांतारामगढ़।
7. पी0एन0बी शाखा रानोली जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. एस0बी0बी0जे0 शाखा रानोली जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. बबली पुत्री भागचंद जाति जाट नि0 ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ,सीकर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :— . 1.श्री सांवरमल चौधरी,वकील वादीगण की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अंतर्गत धारा 53 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :: 23.12.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1, 2, 4 व 9 एक ही पूर्वज मूला के वारिसान है। वंशावली वाद के पैरा सं0 1 अनुसार है। वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1, 2, 4 व 9 की पैतृक कृषि भूमि ख0नं0 3170 रकबा 3.50 है0 ग्राम शिश्यू तह0 दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित है। भूमियों में वादी सं0 1 मोहन की 1/6 वादी सं0 2 व 3 प्रत्येक की 1/18,1/18 हिस्से की खातेदारी है तथा प्रति0सं0 1 की 1/3 प्रति0सं0 2 की 1/6 प्रति0सं0 3 की रकबा 0.03 है0 दर हिस्सा 1/6 तथा प्रति0सं0 4 जगदीश की रकबा 0.5500 है0 प्रति0सं0 9 की 1/18 हिस्से की खातेदारी है। वादीगण ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 10 की उप मद क,ख,ग व घ अनुसार वाद वादीगण डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 लगायत 9 उपस्थित नहीं आए। प्रकरण में दिनांक 25.05.17 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़, सीकर ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/5081 दिनांक 20.09.24 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है। वकील वादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया ।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ पत्रांक भू0अ0/2024/5081 दिनांक 20.09.24 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमिया है तथा वादीगण अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। विवादित भूमियों का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है तथा तहसीलदार,दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/5081 दिनांक 20.09.24 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है, जिसपर वकील वादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ़ के अनुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/2024/5081 दिनांक 20.09.24 फाईनल डिक्री का पार्ट रहेगा। आराजी कृषि भूमियां ख0नं0 3170 रकबा 3.50 है0 राजस्व ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़, सीकर स्थित भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	महावीर पुत्र मूला जाति जाट सा0 देह खातेदार	3170/1	0.5717	बा.1	
2.	मंशीराम पुत्र धनाराम जाति राईका सा0 लढाणा खातेदार	3170/2	0.0297	बा.1	
3.	भूरी उर्फ भंवरी पत्नि मूला जाति जाट सा0 देह राहिन हि0 1/2 एसबीबीजे शाखा रानोली	3170/4 3170/7	0.5716 0.5716	बा.1 बा.1	
4.	जगदीश पुत्र मूला जाति जाट सा0देह खातेदार	3170/5	0.5420	बा.1	
5.	मोहन पुत्र मूला जाति जाट राहिन एसबीबीजे शाखा पलसाना सा0 देह खातेदार	3170/6	0.5717	बा.1	
6.	श्रवणी पत्नी भागचंद, बबली पुत्री भागचंद,कन्हैयालाल पुत्र भागचंद हि0 ब0 जाति जाट राहिन एसबीबीजे शाखा रानोली	3169/1 3168 3170/8	0.0700 0.0100 0.4917	बा.1 गै.मु. चाह बा.1	

[illegible] कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

7.	श्रवणी पत्नी भागचंद, बबली पुत्री भागचंद, कन्हैयालाल पुत्र भागचंद हि0 ब01/6 भूरी उर्फ भंवरी पत्नि मूला हि0 1/3 राहिन हि0 1/6 एसबीबीजे शाखा रानोली मोहन पुत्र मूला हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा पलसाना महावीर, जगदीश पुत्र मूला हि0 1/3 जाति जाट सा0देह	3170/9 3169/2	0.1100 0.0100	बा.1 बा.1	
8.	खातेदारी बदस्तुर जमाबंदी (ख0नं0 3170 के अनुसार)	3170/3	0.0400	बा.1	

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner